



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 258 राँची, गुरुवार, 11 चैत्र, 1943 (श०)
01 अप्रैल, 2021 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

03 मार्च, 2021 ई०।

संख्या:- 11/बंदी विविध-07/2019- 1296 -- मंडल कारा, चास (बोकारो) में संसीमित आजीवन कारावास की सजा प्राप्त निम्नांकित बंदियों को झारखण्ड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की दिनांक- 04.12.2020 एवं 25.02.2021 को आहूत बैठक की कार्यवाही में की गई अनुशंसा के आलोक में आवश्यक समीक्षोपरांत राज्य सरकार द्वारा कारा से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है:-

क्र०	सजावार बंदी का नाम, पिता का नाम एवं उम्र	पूरा पता	सत्रवाद सं. एवं धारा
1	2	3	4
1.	विजय राम, पे.-चंद्रदेव राम, उम्र-50 वर्ष लगभग	ग्राम-सरजमदा, थाना-परसुडीह, जिला-पूर्वी सिंहभूम	सत्रवाद संख्या-164/05 जी.आर.-1179/04 परसुडीह-98/04 धारा-302,201,34 भा.द.वि.,
2.	रंजीत खानी उर्फ रंजीत सिंह, पिता- स्व० यदुनन्दन सिंह, उम्र- 46 वर्ष	सा.- दुहाटाँड़, थाना- धनसार, जिला- धनबाद।	सत्रवाद सं०- 447/06, धारा- 302, 34 एवं 307, 34 IPC

2. उपरोक्त सभी बंदियों को कारामुक्ति के पूर्व संलग्न शपथपत्र भरना अनिवार्य होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सतीश कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।
